भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 212

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

भारत में शक्ति नीति के तहत प्रस्तावित और वास्तव में आवंटित कोयले की मात्रा

212. श्री दीपक प्रकाशः
डा. कविता पाटीदार:
श्री शंभू शरण पटेलः
श्रीमती रेखा शर्माः
श्री नरेश बंसलः
श्री एस. सेल्वागनबेथीः
श्री रायगा कृष्णैयाः
श्री नरहरी अमीनः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025 में भारत में कोयला के पारदर्शी दोहन और आवंटन के लिए योजना (शक्ति) नीति के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रस्तावित और वास्तव में आवंटित कोयले की संख्या का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) शक्ति नीति के अंतर्गत प्रदान किए गए कोयला लिंकजेस का विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए किस सीमा तक उपयोग किया गया है;

(ग) संशोधित शक्ति नीति के अंतर्गत कोयला लिंकजेस के आवंटन के लिए निर्धारित मानदंड और समय-सीमा क्या है; और

(घ) लिंकेज नीलामी के माध्यम से प्रस्तावित कोयले के बेहतर उपयोग और घरेलू कोयला संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान, कोयला कंपनियों द्वारा नीलामी तंत्र के माध्यम से बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पूर्ववर्ती शक्ति नीति, 2017 के पैरा ख (iii) और ख (viii) (क) के तहत कोयला

लिंकेज प्रदान किए गए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान पूर्ववर्ती शक्ति नीति के पैरा ख (iii) और पैरा ख (viii) (क) के तहत नीलामी के कई दौर संचालित किए हैं और इन नीलामियों में पेश की गई कोयले की मात्रा हेतु बुक किए गए कोयले की मात्रा का विवरण इस प्रकार है:

शक्ति नीति	**राउंड/दौर**	**प्रस्तावित मात्रा (मि.ट.*)**	**बुक की गई मात्रा (मि.ट.*)**
पैरा ख (iii)	राउंड 7 से 9	86.81	23.81
पैरा ख (viii) (क)	दौर XXII और XXIII	61.29	26.47

*मिलियन टन

इसके अलावा, कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान, विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों के साथ, पैरा ख (i) के तहत 140 मेगावाट, पूर्ववर्ती शक्ति नीति के पैरा ख (iv) के तहत 5320 मेगावाट और संशोधित शक्ति नीति, 2025 की विंडो-I के तहत 11260 मेगावाट के लिए कोयला लिंकेज आवंटित किए गए हैं।

(ख) शक्ति नीति के अंतर्गत ताप विद्युत संयंत्रों को आबंटित संपूर्ण कोयला लिंकेज विद्युत उत्पादन के लिए हैं।

(ग) सभी विद्युत उत्पादक कंपनियां नीति में उल्लिखित नियमों और शर्तों और संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला लिंकेज के आवंटन/निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली के तहत निर्धारित मानदंडों, समय-सीमा के अनुसार संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला लिंकेज प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(घ) घरेलू कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए लिंकेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की लिंकेज नीलामी में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/विद्युत मंत्रालय के कोयला खपत मानदंडों के अनुसार कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की पेशकश की जाती है।
